Phone: 07564-234729
Email: fmti-mp@nic.in

Fax: 07564-234743
Web site: http://fmttibudni.gov.in

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान
CENTRAL FARM MACHINERY TRAINING & TESTING INSTITUTE
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE, CO-OPERATION AND FARMERS WELFARE)
ट्रैक्टर नगर, बुदनी (म0प्र0) 466–445
TRACTOR NAGAR, P.O., BUDNI (M.P.) 466 – 445
(An ISO 9001: 2015 Certified Institute)

फा. सं.: DIR/PA/1-2/2017

दिनांक 23.03.2020

कार्यालयादेश

नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) व उससे जनित बीमारी के संक्रमण के निवारणार्थ जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 18.03.2020 की निरंतरता में निम्न दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं:

1. संस्थान में कार्यरत सभी अधिकारी, कर्मचारी, कंपनी प्रतिनिधि तथा अन्य कामगार आदि जो मुख्यालय से बाहर से आवागमन करते हैं, वे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग न करते हुए केवल निजी वाहन द्वारा आवागमन करें।

2. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं. 11013/9/2014-Estt-(A-III) दिनांक 22.03.2020 के अनुपालन में सभी अनुभाग अधिकारी अपने अनुभाग में अत्यावश्यक कार्यो हेतु नियुक्त कर्मचारियों की सूची बनाकर विभागाध्यक्ष की अनुमति से दिनांक 23.03.2020 से 31.03.2020 तक केवल उनकी उपस्थिति ही सुनिश्चित करें।

3. संस्थान में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी एवं संविदा कर्मियों में अत्यावश्यक कार्यो हेतु जिनकी आवश्यकता हो केवल उनकी उपस्थिति ही कार्यालय में सुनिश्चित की जाए।

4. संस्थान का प्रशिक्षण अनुभाग सुनिश्चत करे कि वर्तमान में जारी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थगित किए जाएँ तथा जो प्रशिक्षणार्थी वर्तमान में जारी प्रशिक्षण कार्यक्रम में बाहर से आवागमन करते हैं उन्हें दिनांक 27.03.2020 तक अवकाश पर रहने हेतु निदेशित किया जाए।

5. संस्थान में केवल अत्यावश्यक कार्यो हेतु ही किसी कंपनी प्रतिनिधि तथा उनके अन्य कर्मचारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। अन्य कोई भी कंपनी प्रतिनिधि अथवा अन्य कंपनी कर्मचारी संस्थान में उपस्थित नहीं रहेंगे।

6. सभी अधिकारी, कर्मचारी, प्रशिक्षणार्थी, कंपनी प्रतिनिधि तथा अन्य कामगार यह सुनिश्चत करें कि संस्थान परिसर में कोई भी समूह के रूप में एकत्रित न हों।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक लागू रहेगा।

(अरूण कुमार शर्मा)
सहायक निदेशक (रा.भा.) एवं कार्यालयाध्यक्ष
कृते निदेशक

O.S. 23/03/2020

23/03/2020

(Sh. Vijay Yadav)

वितरण:

1. सभी अनुभाग अधिकारी:- आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के मध्य परिचालन हेतु।
2. सभी सूचनापट्ट, छात्रावास।
3. सभी कंपनी प्रतिनिधि।
4. निदेशक महोदय को सादर सूचनार्थ।

अधीनस्थ सभी कर्मचारी नोट करें।

23/3/20